रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072023-247278
CG-DL-E-13072023-247278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2023/आषाढ़ 22, 1945
No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2023/ASHADHA 22, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2023

सं. 22/2023

विषय : व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन पमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी के संबंध में।

फा. सं. 01/36/218/13/एएम–24/ईपीसीजी.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक हित में एफटीपी 2009–14 और एफटीपी, 2015–20 (31.03.2023 तक विस्तारित) के तहत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत संस्थापन प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के संबंध में प्रक्रिया में निम्नलिखित छूट देते हैं।

1. ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारकों के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी को पूंजीगत वस्तुओं की संस्थापना की पुष्टि करने वाला संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। डीजीएफटी को निर्धारित समय सीमा के बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करने के लिए प्राधिकार पत्र धारकों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

2. इस मुद्दे पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया में छूट देते हुए, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति प्राधिकार–पत्र 10000/– रुपए के विलंब शुल्क (संरचना शुल्क के अतिरिक्त, जहाँ भी लागू हो) के भुगतान पर नियमितीकरण उद्देश्य हेतु 31.12.2023 तक निम्नलिखित के अध्यधीन ऐसे संस्थापन प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते हैं:–

i. प्राधिकार–पत्र विदेश व्यापार नीति, 2009–14 और विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के तहत जारी किए गए हैं।

ii. संस्थापन प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त हुआ लेकिन उसे क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

iii. प्राधिकार–पत्र धारक ने संस्थापन प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए प्रामाणिक कारण क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं।

iv. ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का मामला आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी/किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच/न्यायनिर्णयन के तहत नहीं है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने में विलंब हेतु छूट प्रदान की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi the 13th July, 2023

No. 22/2023

Subject: Condonation of delay in submission of installation certificate under EPCG Scheme to promote Ease of doing Business – reg.

F. No. 01/36/218/13/AM-24/EPCG.—In exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade in public interest hereby makes the following relaxation in procedure in respect of acceptance of installation certificate under EPCG Scheme for authorizations issued under FTP, 2009-14 and FTP, 2015-20 (extended upto 31.03.2023).

1. Under the EPCG Scheme, the authorization holders are required to submit the installation certificate confirming installation of the capital goods to the RA within the prescribed time period. DGFT has received a number of requests from authorization holders for condonation of delay in submission of the installation certificate to the RA beyond the prescribed time limit.

2. The issue has been considered. It has been decided that in relaxation of the procedure, the RAs concerned may accept such installation certificates upto 31.12.2023 for regularization purpose on payment of late fee of Rs. 10,000/- per authorization (in addition to composition fee, wherever applicable), subject to the following :-

i. The authorizations have been issued under FTP, 2009-14 and FTP, 2015-20.

ii. The installation certificate was obtained within the prescribed period but the same could not be submitted to the RA within time.

iii. The authorization holder has given bonafide reasons for delay in submission of installation certificate to RA.

iv. The subject EPCG authorization is not under investigation/adjudicated by RA/Customs authority/any other investigating agency.

Effect of this Public Notice: With a view to enhance Ease of Doing Business, a relaxation for delay in submission of installation certificate under the EPCG Scheme is provided.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA